



गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

उत्तर क्षेत्रीय समिति

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION 4

F.NRC/NCTE/RJ-1751/2008

58382

Date: 23 AUG 2008

Order

WHEREAS in terms of Section 15(1) Lokmanya Tilak STC College, Vill - Bindayaka Jhotwara, Jaipur, Rajasthan has submitted an application (code No. 05923) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for starting **BSTC Course of two year duration** with an annual intake of **50 (Fifty only)** students on 31.12.2007.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the **elementary** teacher education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to **Lokmanya Tilak STC College, Vill - Bindayaka Jhotwara, Jaipur, Rajasthan** for conducting **BSTC Course of elementary (level) of two year duration** with an annual intake of **50 (Fifty Only)** students from the academic session **2008-09** under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007 subject to fulfillment of the following:

- (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the **Northern Regional Committee**.
- (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- (iii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed under relevant norms and standards of NCTE for other regulatory bodies like UGC, the State Government etc, wherever applicable.

Contd:-



प्राचार्य
लोकमान्य तिलक STC कालेज
बिन्दायका, जयपुर

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No. : 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Ultrakhand, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail : nrc@ncte-in.org • Website : http://www.nrcnote.org, www.ncte-in.org

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिनिश/प्रार/शिप्र/प्रवेश/4489/08-09

दिनांक:- 23-9-08

समन्वयक,
बीएसटीसी/एनटीटी/एसटीसी संस्कृत
राजकीय महाविद्यालय
अजमेर ।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय में दो वर्षीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने बाबत ।

संदर्भ:- उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प्र.1.5(7) शिक्षा-1.1.3.1/2.0.08 दिनांक.18.9.08 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 18-9-08 के द्वारा निर्देशानुसार पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई नवीन निजी संस्था (विशेषकर) शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय को एसटीसी/एनटीटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2008-09 में 50 सीटों के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति एवं सम्बद्धता प्रदान की जाती है । संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की पूर्णतया पालना प्रवेश प्रक्रिया में भी की जावे ।

2/18/11(2)

पंजीयक

सहासक निदेशक (प्रशिक्षण)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Saty

सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्थान संस्था (विशेषकर)

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(7)शिक्षा-1/प्रा.शि./2008

जयपुर, दिनांक : 18/9/08

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 54 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के समुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2008-09 हेतु नियमानुसार काउन्सिलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर में एक मुश्त 50,000/- रुपये शारित (Non-refundable) के रूप में बैंक ड्रॉपट के माध्यम से जमा करवाये जाने की शर्त पर प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
(1)	महाराणा प्रताप एसटीसी स्कूल, बसेली, धौलपुर	STC	50
(2)	चौधरी एम.एस. मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तारा नगर, चुरू	STC	50
(3)	इंडियन पब्लिक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, झुन्झुनू	STC	50
(4)	रावत महिला बीएड कॉलेज, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर	STC	50
(5)	राजस्थान कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, खेड़ा, हिण्डौन सिटी, करौली	STC	50
(6)	पी.एल. दुधे मेमोरियल एसटीसी कॉलेज, जगपुरा, कोटा	STC	50
(7)	महिला विद्या मन्दिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेगवास, प्रतापगढ़	STC	50
(8)	मारुती नन्दन ऐलीमेंट्री (बीएसटीसी) टीटी कॉलेज, भरतपुर	STC	50
(9)	लोकमान्य तिलक एसटीसी कॉलेज, विनायक, झोटवाड़ा, जयपुर	STC	50
(10)	टैगोर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शेखपुरा, काटपूतली, जयपुर	STC	50
(11)	आर.एन.टी. इन्स्टीट्यूट ऑफ बीएसटीसी, कपासन, वित्तोडगढ़	STC	50
(12)	विद्या भारती एसटीसी कॉलेज, टोडी नगर, सीकर	STC	50
(13)	संस्कार टीचर ट्रेनिंग स्कूल, शान्ति प्रिया नगर, जोधपुर	STC	50
(14)	टाक शिक्षा निकेतन बीएसटीसी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लोहागल, अजमेर	STC	50
(15)	मदर इंडिया टीचर ट्रेनिंग स्कूल, खानपुर, झालावाड़	STC	50
(16)	गोपेश्वर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कवरपुरा, हुंजरजा, बीगोद, कोटा	STC	50
(17)	सौरभ कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, भगवानगंरा, तिजारा रोड, अलवर	STC	50
(18)	श्री कृष्ण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, काटपूतली, जयपुर	STC	50
(19)	उजास कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सचिवालय सिटी, दधिया, सांगानेर, जयपुर	STC	50
(20)	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धाना राजाजी, राजगढ़, अलवर	STC	50
(21)	आर.एन.टी.टी. कॉलेज, स्याऊ-गोविन्दगढ़, चौभू, जयपुर	STC	50
(22)	विनायक कॉलेज, विनायक विहार, लक्ष्मणगढ़, सीकर	STC	50